राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2944/2024

श्रीमती प्रेमलता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, एड्स परियोजना निदेशक, जयपुर।
3. प्राचार्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बीडीएम अस्पताल, कोटपूतली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.09.2024

आदेश की दिनांक : 23.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में स्टाफ नर्स के पद पर लिंक एआरटी प्लस केन्द्र, जिला चिकित्सालय, कोटपूतली में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को दिनांक 17.12.2021 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 06.06.2022, 24.01.2024 एवं 01.06.2024 को अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी का चयन प्रक्रिया अपनाते हुये आदेश दिनांक 17.12.2021 के द्वारा नियुक्ति हुई और अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया, परंतु तीन माह पश्चात् दिनांक 15.02.2022 एवं

21.02.2022 को नियुक्ति आदेश यह कहते हुये निरस्त कर दिया कि चयन प्रक्रिया सही नहीं अपनाई गई, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3715/2022 श्रीमती प्रेमलता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रस्तुत की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 14.03.2022 को जारी किया गया और अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में कार्यग्रहण किया। परंतु अपीलार्थी को वेतन आदि का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। जबकि वह स्टाफ नर्स के पद पर निरंतर सेवायें दे रही है। विभाग में दिशा–निर्देश चाहने बाबत् पत्र भी लिखे गये परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 17.03.2022 से वेतन भुगतान किया जावे एवं मय शेष राशि आदि समस्त लाभ प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन स्टाफ नर्स के पद पर लिंक एआरटी प्लस केन्द्र, जिला चिकित्सालय, कोटपूतली में कार्यरत है। अपीलार्थी को दिनांक 17.12.2021 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थी का चयन प्रक्रिया अपनाते हुये आदेश दिनांक 17.12.2021 के द्वारा नियुक्ति हुई। जहां तक अपीलार्थी को दिनांक 17.03.2022 से वेतन आदि का भुगतान प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाते हुये की गई है और उसे दिनांक 17.12.2021 को नियुक्ति प्रदान की गई। परंतु तीन माह पश्चात् अपीलार्थी की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3715/2022 श्रीमती प्रेमलता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रस्तुत की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 14.03.2022 को जारी किया गया और अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में कार्यग्रहण किया। परंतु अपीलार्थी को वेतन आदि का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। जबकि वह स्टाफ नर्स के पद पर निरंतर सेवायें दे रही है। इस प्रकार अपीलार्थी नियमानुसार वेतन आदि प्राप्त करने की अधिकारी है और इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वेतन भुगतान नहीं किये जाने

के संबंध में हम प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश देना उचित समझते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन को उसकी सेवा नियमों के अनुसार निस्तारित करते हुये उसे नियमानुसार वेतन भुगतान किया जावे और अभ्यावेदन निस्तारण किये जाने की सूचना अपीलार्थी को भी दी जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष